न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 45 / 2020 (उदयपुर डिक्री)

कूका उर्फ पेमा डांगी पिता स्वर्गीय हेमा जी डांगी, निवासी नौखा, तहसील गिर्वा हाल मुकाम दतात्रेय आश्रम के आगे, पारा बावजी रोड़, नया तालाब, पोस्ट नेला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. गणेशलाल पिता केसुलाल जी डांगी, निवासी नोखा छोटा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. दौलतराम पिता केसुलाल जी डांगी, निवासी नोखा छोटा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. नरपतलाल पिता केसुलाल जी डांगी, निवासी नोखा छोटा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. चुन्नीलाल पिता हेमा जी डांगी, निवासी नोखा बड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक
06.02.2020 ,प्रकरण सं0 151 / 2015

–––::–––

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री सचिन जोशी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री ओंकारलाल डांगी अभि.रे.सं. 1 से 3
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णय दिनांक 10–10–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नेला, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 2847, 2848, 2850, 2851, 2852, 2853 कुल किता 6 रकबा 5.6250 स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर मौके पर आपसी बंटवारा कर तीन हिस्से कर रखे हैं, जिसमें पूर्वी हिस्से पर वादीगण के कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:13 IST
Reason: SelfAttested

हैं, पश्चिमी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जे में है तथा बीच का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे में है एवं इसी अनुसार पक्षकारान काबिज चले आ रहे हैं। पक्षकारान का हिस्सा वाद पत्र की कलम संख्या 3 से 6 अनुसार है। अतः वादीगण पक्षकारान के मध्य वाद पत्र की कलम संख्या 3 से 6 में अंकित हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06–02–2020 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–07–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 06–02–2020 को प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उसकी अनुपस्थिति में दावा स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री किया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 15–06–2020 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन अपीलान्ट को व्यक्तिशः प्राप्त नहीं होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17–11–2016 को तलबी पूर्ण मानकर पत्रावली वास्ते जवाब नियत कर दी, जबकि प्रार्थी/अपीलान्ट को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के उपस्थित नहीं होते हुए भी दिनांक 12–12–2019 को उनका जवाबदावा बन्द कर पत्रावली साक्ष्य में नियत कर दी। तत्पश्चात अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दिनांक 06–02–2020 को एकतरफा वाद प्रारम्भिक डिक्री कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रकिया की अनदेखी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:13 IST
Reason: SelfAttested

करते हुए अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रापर तामिल के बावजूद अपीलान्ट/प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में 1998 आर.बी.जे. (5) पेज 77 प्रस्तुत की।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न पेशी दिनांक 17–11–2016 के सम्मन लालुराम द्वारा प्राप्त की गयी है, जो अपीलान्ट कूका का पुत्र होना अंकित है। ऐसी स्थिति में उसका यह कथन कि उसे सम्मन व्यक्तिशः तामिल नहीं हुए, उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह कहीं भी कथन नहीं किया कि लालुराम उसका पुत्र नहीं है अथवा उसके परिवार का सदस्य नहीं है। उसकी सिर्फ यह आपत्ति है कि उसे व्यक्तिशः सम्मन तामिल नहीं हुए, जो उचित नहीं है क्योंकि आदेश 5 नियम 15 सी.पी.सी. के तहत परिवार के किसी भी वयस्क व्यक्ति पर हुई तामिल भी प्रोपर तामिल मानी जाती है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06–02–2020 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:13 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....

व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

कूका उर्फ पेमा डांगी पिता स्व. हेमा डांगी, नि. नोखा तह. गिर्वा हाल मुकाम दतात्रेय आश्रम के आगे,पारा बावजी रोड नया तालाब पोस्ट नेला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

गणेशलाल पिता केसुलाल डांगी, नि. नोखा छोटा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**45 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**.....**गिर्वा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**06**.....माह.....**02**.....**2020**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**10**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री सचिन जोशी .....** मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री ओंकारलाल डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–02–2020 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**10**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:13 IST
Reason: SelfAttested